OR 264 OF SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 PROCEDUR CODE, 1898 CRIMINAL In the court of शिक्ष मिण्ड गोहद, जिला-निण्ड (म.प्र.) /2017 प्रकरण क्मांक Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना................जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र० name, parentage, caste and address of accused केट दिन मिराजियात देशांतर के के उन The offence complained of, and date of its alleqed commission आपने दिनांक 1.9.17 को 21.25 बजे से 21.25 बजे के मध्य स्थान किट्ट 225 से रूपयों पैसों की हारजीत का 10920352 दांव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 🔌 🦈 इत् कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। The plea of the accused and bis examination [if any] The plea of the accused and bis examination [if any] आरोपी का अभिवाक-Bollow Soldie

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), (4.31.) clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक 12-3-17 को घोषित किया गया)

1.	अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 🤽 🥰 के द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण
समरी	शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किय
जाना	स्वीकार किया।

2. अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा कि की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा कि चूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये कि अंतर्गत रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 5 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

रथान-भिण्ड

दिनांक- 12, 9, 17

निर्णय आज दिनांकित एवं ..

पंकाज रामां न्यायिक मिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.ज्र.) मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

पंकज शर्मा न्यायिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)